



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 175 राँची, बुधवार,

22 मार्च, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 फरवरी, 2023

संख्या-16/नि०-07/2017- 1348--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्तनियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2023" कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. मूल नियमावली (झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014) के नियम 3(ii)-सह- यथासंशोधित झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-2 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-" झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

" शैक्षणिक योग्यता:-" मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।"

2. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (यथा संशोधित) के शेष नियम यथावत रहेंगे ।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-979, दिनांक-02.03.2023 के द्वारा "झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2023" के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-02.03.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-35 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।
